रजिस्टर्ड नं० HP/13/SML/2004.

राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

(असाधारण)

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला, सोमवार, 26 जुलाई, 2004/4 श्रावण, 1926

हिमाचल प्रदेश सरकार

कार्यालय उपायुक्त, चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

चम्बा-176310, 13 जुलाई, 2004

संख्या पंच-चम्बा-ए (16) 10/79-2002-II-637-44.—एतद्द्वारा श्री माधो राम, सदस्य वार्ड 6, ग्राम पंचायत पुर्थी, विकास खण्ड पांगी, जिला चम्बा का ध्यान हिमाचल प्रदेश, पंचायती राज अधिनियम (संशोधन) 2000 (2000 का अधिनियम संख्या 18) के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 2000 की की संशोधित धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड ण की ओर आकृषित किया जाता है ।

(यदि उसके दो से अधिक जीवित संतान हैं) :

परन्तु खण्ड ण के अधीन निहर्रता उस व्यक्ति को लागू नहीं है जिसके यथास्थिति हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000 के प्रारम्भ होने की तारीख के एक वर्ष की अवधि के पश्चात् और सन्तान नहीं होती ।

अतः क्योंकि हि0 प्र0 पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम, 2000, दिनांक 8-9-2001 को लागू हो चुका है तथा धारा 122 के खण्ड ण का प्रावधान 8-9-2001 से प्रभावी होता है अर्थात् 8-6-2001 के पश्चात् यदि किसी पंचायत पदाधिकारी के इस प्रावधान के लागू होने के पूर्व दो या दो से अधिक संतान हैं तो वह पंचायती राज संस्था से पदासीन के अयोग्य होगा । खण्ड विकास अधिकारी के कार्यालय पत्र संख्या 160, दिनांक 13-4-2004 के द्वारा प्रेषित जांच रिपोर्ट में सूचित किया है कि उसके 8-9-2001 के पश्चात् एक अतिरिक्त संतान हुई है जिसका इन्द्राज ग्राम पंचायत पुर्थी के अन्तर्गत दर्ज है जिसका जन्म दिनांक 2-12-2002 को हुआ है इस प्रकार यह आपकी तीसरी संतान है, जो कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (संशोधन) अधिनियम की धारा 122 की उप-धारा (1) के खण्ड ण के अन्तर्गत अयोग्य हो जाता है ।

अतः आपको निर्देश दिए जाते हैं कि आप पत्र प्राप्ति के 15 दिनों के भीतर-भीतर उक्त के बारे में अपना पक्ष प्रस्तुत करें यदि आपका उत्तर उक्त अवधि तक प्राप्त नहीं होगा तो आपके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (क) के अधीन कार्यवाही अमल में लाई जाएगी ।

राहुल आनन्द,
उपायुक्त,
चम्बा, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

कार्यालय उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला

कार्यालय आदेश

धर्मशाला, 13 जुलाई, 2004

संख्या पंच-के0 जी0 आर0-ई0 (17) 32/91-3670-75.--क्योंकि श्री प्रेम चन्द, सदस्य वार्ड नं0 5, ग्राम पंचायत टंग नरवाणा, विकास खण्ड नगरोटा बगवां द्वारा सरकारी भूमि खसरा नं0 69/1, रकबा 0-00-60 हैक्टेयर पर नाजायज कब्जा करके दुकानों का निर्माण किया है;

और क्योंकि उपरोक्त शिकायत की जांच हेतु कार्यालय के पत्र सं0 पंच-के0 जी0 आर0-ई0(17) 32/91-6007, दिनांक 28-8-2003 के अंतर्गत उप-मण्डलाधिकारी (ना0), कांगड़ा को लिखा गया था जिस पर तहसीलदार धर्मशाला की रिपोर्ट उप-मण्डलाधिकारी (ना0), कांगड़ा के पत्र सं0 एस0 डी0 के0/42(11)-03-828, दिनांक 15-11-2003 के अंतर्गत प्राप्त है जिससे उपरोक्त आरोप की पुष्टि हुई है कि श्री प्रेम चन्द, सदस्य वार्ड नं0-5, ग्राम पंचायत टंग नरवाणा ने सरकारी भूमि पर नाजायज कब्जा कर रखा है। इस कारण उपरोक्त श्री प्रेम चन्द, सदस्य वार्ड नं0-5, टंग नरवाणा, विकास खण्ड नगरोटा बगवां हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (सी) के अन्तर्गत सदस्य पद पर बने रहने का अधिकार खो चुके हैं ।

अतः मैं, श्री कान्त बाल्दी (भा0 प्र0 से0) उपायुक्त, कांगड़ा स्थित धर्मशाला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131 (1) में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री प्रेम चन्द, सदस्य वार्ड नं0-5, ग्राम पंचायय टंग नरवाणा के सदस्य पद को तत्काल प्रभाव से रिक्त घोषित करता हूं ।

श्री कान्त बाल्दी,
उपायुक्त,
कांगड़ा स्थित धर्मशाला ।

कार्यालय उपायुक्त, जिला किन्नौर स्थित रिकांगपिओ, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

रिकांगपिओ, 6 जुलाई, 2004

संख्या कनर-934/90-1053-59.—यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 79(1) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर के अभिलेखों का अंकेक्षण जिला पंचायत अधिकारी, किन्नौर, जिला किन्नौर के जिला किन्नौर के कार्यालय के अंकेक्षण दल (सर्वश्री हेम चन्द मैहता तथा श्री रूप सिंह नेगी) द्वारा दिनांक 21-6-2004 से 25-6-2004 को किया गया। अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत ग्राम पंचायत सुंगरा की संपरीक्षा रिपोर्ट में बहुत सी गम्भीर आपत्तियां सामने आई हैं, जिनमें प्रधान ग्राम पंचायत श्री हरबन्स सिंह नेगी द्वारा अपनी वित्तीय शक्तियों का दुरुपयोग करते हुए पंचायत निधि के दुर्विनियोग तथा दुरुपयोग के मामले ध्यान में आए हैं। इसके अतिरिक्त हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (वित्त, बजट, लेखे, संपरीक्षा, संकर्म, कराधान और भत्ते) नियम, 2002 के नियम 90 के अन्तर्गत उप-मण्डल अधिकारी (ना0), निचार, जिला किन्नौर द्वारा भी ग्राम पंचायत सुंगरा के अभिलेखों का निरीक्षण एवं छानबीन की गई थी। उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार द्वारा प्रेषित ग्राम पंचायत सुंगरा के अभिलेखों की छानबीन रिपोर्ट में भी पंचायत निधि के उपयोग सम्बन्धी अनेक अनियमिततायें तथा निधि के दुरुपयोग सम्बन्धी आरोप ध्यान में आए। उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार तथा जिला पंचायत कार्यालय, जिला किन्नौर के अंकेक्षण दल द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर तैयार प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा के विरुद्ध आरोप पत्र के मुख्य बिन्दु इस प्रकार में हैं :—

भाग-क

उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट पर आधारित आरोप

आरोप संख्या 1.—दिनांक 6-6-2000 को जय प्रकाश इण्डस्ट्रीज लिमिटिड से मु0 3,00,000/- रु0 अनुदान प्राप्त हुआ था, जिसमें से दिनांक 12-6-2000 को चैक नं0 85581, सहकारी बैंक भावानगर से मु0 1,25,000/- रु0 का सामान खरीद के लिए निकासी दिखाई गई है, परन्तु कैश-बुक व वाउचर के अवलोकन से पाया गया है कि मु0 4760/- रु0 प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा के पास दिनांक 9-7-2000 तक अनाधिकृत रूप से रखे गए पाये जाते हैं। वाउचर के अवलोकन से पाया गया कि ग्राम डमरलिंग, थानंग व वारो के लिए बिजली का सामान खरीदा दर्शाया गया है। वाऊचर भी जाली प्रतीत होते हैं, इसके पश्चात् दिनांक 6-10-2000 को भी मु0 40,080/- रु0 का सामान गांव राकंपा में बिजली के ऊपर खर्च किए गए दर्शाए गए हैं, वाऊचर नं0 444, 445 व 446, दिनांक 12-6-2000 व वाऊचर नं0 448, दिनांक 6-10-2000 के मुताबिक सामान मैसर्ज नेगी, कमर्शियल सैन्टर, भावानगर से क्रय किया गया है, जो कि जाली प्रतीत होते हैं। क्योंकि चारों वाऊचर एक ही स्याही से एक ही दिन के बनाए गए प्रतीत होते हैं, निरीक्षक, आबकारी एवं कराधान, निचार की रिपोर्ट दिनांक 4-12-2003 से स्पष्ट होता है कि दिनांक 12-6-2000 को मैसर्ज नेगी कमर्शियल सैन्टर, भावानगर ने बिजली का सामान बेचा ही नहीं है, केवल कैश मैमो ही बनाये हैं, क्योंकि सेल टैक्स रजिस्टर में इन कैश मैमो का इन्द्राज नहीं है। इससे प्रतीत होता है कि वाऊचर मिली भगत से जाली बनाए गए हैं। खरीदे गए भारी सामान का स्टाक रजिस्टर भी नहीं बनाया गया है। ऐसा भी पाया गया कि मौका पर इतना भारी कार्य भी नहीं किया गया है।

आरोप संख्या 2.—दिनांक 20-4-2003 को प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा श्री हरबन्स सिंह ने मु0 35,000/-रु0 बतौर अग्रिम राशि का आहरण दर्शाया गया है, जिस अग्रिम राशि के अभी तक वाऊचर नही दिए गए हैं, अग्रिम राशि निकालने का कहीं भी प्रावधान नहीं है। जो पावती अभिलेख में उपलब्ध नहीं

है, उसमें श्री हरबन्स सिंह, प्रधान ने अपनी गाड़ी नं0 एच0 पी0-230 के नाम अदायगी दिखाई है, जो कि सरकारी धन का सरासर दुरुपयोग है।

आरोप संख्या 3.—दिनांक 20-8-2003 को मु0 25,000/- रु0 की निकासी दिखाई गई है, जिसका हिसाब अभिलेख में उपलब्ध नहीं है। इसलिए सरकारी धनराशि का दुरुपयोग हुआ है।

आरोप संख्या 4.—वाऊचर नं 70 के अवलोकन से पाया गया कि प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा ने 20,000/- रु0 दिनांक 3-9-2003 को बाबत सीमेन्ट रेता, बजरी, शौचालय निर्माण भावानगर के लिए निकासी की है, परन्तु वाऊचर पर प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा के ही हस्ताक्षर हैं व गाड़ी नं0 एच0 पी0 26-0230 अंकित है, जो कि श्री हरबन्स सिंह, प्रधान की निजी गाड़ी है। यह वाऊचर भी फर्जी है।

आरोप संख्या 5.—श्री हरबन्स सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा दिनांक 1-9-2003 अधोहस्ताक्षरी के आदेश संख्या-कनर-734/90-9795-9802, दिनांक 1-9-2003 को अयोग्य/अनर्हित घोषित किया गया था, परन्तु इसके बावजूद भी प्रधान व सचिव के हस्ताक्षर से दिनांक 3-9-2003 को सरकारी धन मु0 70,000/ रु0 का आहरण व वितरण श्री हरबन्स सिंह, प्रधान को किया गया दर्शाया गया है, जबकि वे ऐसा करने के लिए सक्षम नहीं थे।

आरोप संख्या 6.—वाऊचर नं0 5, मु0 12,000/- रु0 पत्थर तोड़ई के तीर्थ बहादुर मारफत हरबन्स सिंह, भू0 पू0 प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा को अदायगी दिखाई है, परन्तु प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर रसीद पर नहीं हैं और न ही रसीदी टिकट लगाया गया है, जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि वाऊचर मु0 12,000/- रु0 का फर्जी त्यार किया गया है।

आरोप संख्या 7.—कैश मैमो नं0 0466, दिनांक 10-7-2000 को मैसर्ज नेगी कमर्शियल सैन्टर, भावानगर से 70 बैग सीमेन्ट अम्बूजा, ग्राम पंचायत सुंगरा के लिए विक्रय किया गया दिखाया गया है। राशि की अदायगी प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा प्रमाणित की गई है। ऐसा प्रतीत होता है कि वाऊचर फर्जी त्यार किया गया है, क्योंकि उक्त फर्म का कैशमैमो नं0 444, 445 व 446, दिनांक 12-6-2000 तथा कैश मैमो नं0 448, दिनांक 6-10-2000 का है, जिससे प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा ने बिजली का सामान क्रय किया दर्शाया है, जिसकी विस्तृत टिप्पणी आरोप संख्या-1 पर है, जबकि कैश मैमो नं0 0466, दिनांक 10-7-2000 का है जो स्वतः ही फर्जीकारी/मिली भगत का स्पष्ट प्रमाण है।

आरोप संख्या 8.—वाऊचर नं0 8 प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा ने बिलकुल फर्जी त्यार किया प्रतीत होता है, इसके द्वारा मु0 2940/- रु0 की अदायगी दर्शाई गई है, परन्तु राशि प्राप्तकर्ता के हस्ताक्षर नहीं हैं। जिसमें फर्जीकारी की स्पष्ट झलक पड़ती है।

आरोप संख्या 9. दिनांक 8-8-2000 को ग्राम पंचायत सुंगरा की बैठक हुई कार्यवाही रजिस्टर पृष्ठ नं0 101 पर प्रस्ताव नं0 2 व प्रस्ताव नं0 4 बारे टिप्पणी दर्ज नहीं है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 117 पर प्रस्ताव नं0 2 आय-व्यय बारे अधूरी टिप्पणी अंकित है, आधा पृष्ठ खाली छोड़ा गया है इसके अलावा पृष्ठ संख्या 119, 120, 121 व 122 भी रिक्त छोड़े गए हैं। दिनांक 20-6-2001 को ग्राम पंचायत सुंगरा की वार्षिक बैठक में प्रस्ताव संख्या 13 जो कि पृष्ठ संख्या-168 पर अंकित है में आय-व्यय बारे वर्णन है, परन्तु काफी सारी जगह फर्जी आय-व्यय दिखाने के लिए खाली छोड़ा गया है। इसी प्रकार पृष्ठ संख्या 177, 178 भी कार्यवाही रजिस्ट्रर में खाली छोड़ा गया है और पृष्ट संख्या 182 भी आधा खाली छोड़ा गया है। कार्यवाही के दूसरे रजिस्टर जो दिनांक 20-12-2001 से आरम्भ किया गया है कि पृष्ठ संख्या 13 व 14 खाली छोड़े गये हैं। दिनांक 3-11-2002 की कार्यवाही प्रस्ताव संख्या 6, पृष्ठ संख्या 86 व 87 भी खाली छोड़े गये हैं, जबकि इन पृष्ठों पर प्रधान के हस्ताक्षर मौजूद हैं। पृष्ठ संख्या 167 और 168 पूर्ण खाली छोड़े

गए हैं। दिनांक 5-8-2003, प्रस्ताव संख्या 2 जिसमें आय-व्यय का वर्णन दर्ज है, भी बाद में अंकित किया गया है और आधा पृष्ठ खाली छोड़ा गया है, इसी प्रकार प्रस्ताव नं0 5. आय-व्यय विवरण प्रस्ताव नं0 9, आय-व्यय सत्यापन भी बाद में दूसरी स्याही से जोड़ कर अनियमितता की गई है। इसी प्रकार दिनांक 20-8-2003 की कार्यवाही 177 पृष्ठ पर अंकित है, जिनमें पृष्ठ संख्या 179 तक किसी अन्य व्यक्ति ने कार्यवाही अंकित की है। जिससे स्पष्ट प्रतीत होता है कि कार्यालय अभिलेख में सरकारी धनराशि के आहरण व वितरण का ब्यौरा बाद में दर्ज किया गया है, ऐसा प्रतीत होता है कि इसी प्रकार दिनांक 5-10-2003 को ग्राम सभा सुंगरा की तृतीय बैठक पृष्ठ संख्या 183 से 185 तक अंकित है, परन्तु प्रस्ताव संख्या 4, पृष्ठ संख्या 184, 185, 186, 187, 188 पूर्ण रूप से खाली छोड़े गये हैं।

आरोप संख्या 10.— स्वर्ण जयन्ती ग्रामीण एवं रोजगार योजना के वाऊचर नं0 5, दिनांक 5-5-2003 जिसके द्वारा 4 गाड़ी रेता की कीमत की अदायगी मु0 12,000/- रु0 श्री शिव कुमार पुत्र श्री मैना राम, निवासी सुंगरा को दतनगर से सुंगरा किया है। इसी प्रकार वाऊचर नं0 18, दिनांक 6-5-2003 के द्वारा 2 गाड़ी रेता की अदायगी मु0 6,000/- रु0 श्री हरीश चन्द्र पुत्र श्री डी0 एन0 नेगी, निवासी ग्राम निचार को भी दतनगर से सुंगरा का किया है, वाऊचर नं0 21 जिसके द्वारा दो गाड़ी रेत की कीमत मु0 6,000/- रु0 दिनांक 8-5-2003 को श्री दिनेश कपिल पुत्र श्री हेमराज कपिल, निवासी ग्राम भावानगर को की गई है, परन्तु यह नहीं दर्शाया गया है कि रेता कहां से लाया गया है। वाऊचर नं0 57 व 59, दिनांक शून्य के के द्वारा श्री दिनेश कपिल, ग्राम भावानगर को मु0 3,000/- रु0 एक गाड़ी रेता की अदायगी की है, उपरोक्त रेते की सारी गाड़ी दतनगर से लाई गई हैं। यहां काबिले गौर यह है कि भावानगर में रेता खान मौजूद है तथा रेता फिर भी दतनगर से लाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा ने धनराशि का पूर्ण रूप से दुरुपयोग किया है।

आरोप संख्या 11.—विलेज एजूकेशन कमेटी की नस्ति से पाया गया कि वाऊचर नं0 1, दिनांक 6-4-2003 को श्री सन्ता बहादुर पुत्र श्री कर्ण बहादुर, निवासी भावानगर को 2/- रु0 प्रति पत्थर के हिसाब से मु0 25,000/- रु0 की रसीद बनाई है। इतनी भारी भरकम राशि की अदायगी फर्जी प्रतीत होती है। दिनांक 20-7-2003 कार्यवाही रजिस्टर ग्राम पंचायत सुंगरा का प्रस्ताव संख्या 9 विभिन्न कार्य योजनाओं के वाऊचरों का सत्यापन का इन्द्राज बाद में किसी अन्य कर्मचारी द्वारा प्रतीत होता है। जबकि इससे पूर्व का इन्द्राज दूसरी स्याही व कर्मचारी द्वारा अंकित है। बाद में कार्यवाही बन्द नहीं कर रखी है। इस इन्द्राज से मु0 49,800/- रु0 के लिए बाद में प्रस्ताव अंकित किया गया है, जो नियमों के विरुद्ध है।

भाग-ख

जिला पंचायत अधिकारी कार्यालय के अंकेक्षण दल द्वारा संपरीक्षा रिपोर्ट में उठाए गए आरोप

आरोप संख्या 1.—अंकेक्षण अवधि में विकास कार्यों के लिए क्रय की गई सामग्री रेता, सीमेंट, पत्थर, ईंट, चादरें इत्यादि क्रय करने से पूर्व कुटेशने नहीं ली गई हैं।

आरोप संख्या 2.—दिनांक 30-6-2003 रोकड़ पृष्ठ 122, राशि 30,262/- रु0 भवन निर्माण उप-खजाना निचार मस्ट्रोल नं0 59 मास 5/2003 दर्ज रोकड़ है जिसमें 16 मजदूर कार्यरत थे, क्रम नं0 2, विनोद पुत्र बलबहादुर की मजदूरी मु0 2437.50 पैसे बनती है प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं ऐसा प्रतीत होता है कि उक्त मजदूर को मजदूरी नहीं मिली। क्रम नं0 एक पर बाबू राम पुत्र श्री डन्डावीर मेट को 30 दिन का मु0 81.25 पैसे के दर से 30 दिन की मजदूरी मु0 2437.50 पैसे दी गई है जबकि मेट का दर 63.75 के हिसाब से मु0 1912.50 पैसे बनती थी इस प्रकार से मु0 526/- रु0 अधिक दिए गए। प्रतीत होता है कि मस्ट्रोल मौका पर त्यार नहीं किया गया।

आरोप संख्या 3.—दिनांक 5-7-2003 रोकड़ पृष्ठ 125, राशि मु0 6,196/- रु0 निर्माण कार्य पक्का रास्ता आत्म प्रकाश के मकान से चेत राम के मकान तक मस्ट्रोल मास जून, 2003 दर्ज रोकड़ है जिसमें

16 मजदूर कार्यरत थे। मजदूरों की हाजरी 18 तारीख तक लगाई गई है, क्रम संख्या 1. लक्ष्मण सिंह पुत्र श्री धनी राम मिस्त्री को 19 तारीख को पी० एच०, क्रम संख्या 2. आत्मा प्रकाश पुत्र श्री लफनवर, मजदूर को 19 तारीख वैतनिक अवकाश, क्रम संख्या 7. श्रीमती ठाकुर दासी पत्नी श्री मारन सिंह को 19 तारीख की वैतनिक अवकाश की मजदूरी दी गई है, जब मस्ट्रोल में कार्य 18 तारीख तक किया गया तो क्रम संख्या 1, 2 व 7 को वैतनिक अवकाश की मजदूरी क्यों दी गई जो अवैध है। मु० 208.75 पैसे की राशि का दुरुपयोग किया गया है।

आरोप संख्या 4.—दिनांक 30-4-2003 रोकड़ पृष्ठ 121, राशि 12,445/- रु० निर्माण कार्य नाली शास्त्री के घर से देवर राम के मकान तक मस्ट्रोल संख्या 1096/57 जो दिनांक 1-5-2003 से 31-6-2003 तक जारी किया है मस्ट्रोल में कुल 13 मजदूर कार्यरत थे क्रम संख्या 1, 2, 4 से 7 व 9 से 13 की हाजरियां मस्ट्रोल में 1 तारीख से लगी हैं जबकि क्रम नं० 3 मिस्त्री लाल बहादुर पुत्र श्री चिगवान व क्रम नं० 8. हुम बहादुर मिस्त्री पुत्र श्री नवराज की हाजरियां 6 तारीख से लगाई गई हैं। इस प्रकार से मस्ट्रोल के क्रमवार क्रम नं० 4 में 7 व 9 से 13 की हाजरियां पहले आनी थी व क्रम संख्या 3 व 8 की हाजरियां बाद में आनी थी। अतः स्पष्ट है मस्ट्रोल मौका पर तैयार नहीं किया जाता, जो कि अनियमित है। क्रम संख्या 4 से 7 व 9 से 13 की 5-5 दिन की हाजरियां अवैध हैं जो मु० 2,868.75 पैसे की धनराशि का दुरुपयोग किया गया है।

आरोप संख्या 5.—दिनांक 5-7-2003 रोकड़ पृष्ट 124, राशि 15,000/- रुपये निर्माण कार्य राजकीय प्राथमिक पाठशाला सुंगरा कैशमेमो/रसीद कपील ब्रदर्ज 3,000 ईंटों की अदायगी दर्ज रोकड़ है, परन्तु व्यय प्रमाणक नहीं।

आरोप संख्या 6.—दिनांक 27-1-2004 रोकड़ पृष्ट 132, राशि मु० 8,500/- रुपये मानदेय पंच दर्ज रोकड दर्शाया गया है पंच श्रीमती जागमणी को दिनांक 1-4-2003 से 30-11-2003 तक मु० 1,200/- रु० दिये गये, परन्तु प्राप्ति पर हस्ताक्षर नहीं।

आरोप संख्या 7.—पैरा नम्बर 2 (ख)' क्रम नं० 12 व्यय की ओर टिप्पणियां निम्न सभी राशियों का व्यय पंचायत प्रस्ताव द्वारा पारित नहीं है जो सभी राशियां अवैध मानी जाएंगी:—

रोकड़ पृष्ठ	दिनांक	राशि
118	30-4-2003	4,575.00
118	30-4-2003	1,800.00
122	30-6-2003	24,000.00
124	5-7-2003	10,000.00
124	5-7-2003	6,000.00
124	5-7-2003	4,000.00
124	5-7-2003	760.00
124	5-7-2003	14,240.00
125	5-7-2003	1,811.00
127	31-8-2003	850.00

आरोप संख्या 8.—अंकेक्षण-पत्र के पैरा नं0 2 (ख) क्रम नं0 13 व 14 निम्न सभी राशियों का व्यय पंचायत प्रस्ताव नं0 2, दिनांक 5-10-2003 व प्र0 सं0 9, दिनांक 20-8-2003 को कार्यवाही में पारित किया गया है। कोरम 3/9 व 5/10 का था जो कोरम पूर्ण न था। अतः निम्न राशियां अवैध मानी जाएंगी :—

रोकड़ पृष्ठ	दिनांक	राशि
121	30-4-2003	9,100.00
123	5-7-2003	3,000.00
123	-यथो-	8,175.00
123	-यथो-	3,600.00
123	-यथो-	9,000.00
123	-यथो-	17,000.00
123	यथो-	400.00
123	-यथो-	3,600.00
124	-यथो-	2,700.00
124	-यथो-	17,000.00
124	-यथो-	6,000.00
124	-यथो-	700.00
122	30-6-2003	4,146.00
122	-यथो-	11,700.00

आरोप संख्या 9.—अंकेक्षण-पत्र के पैरा नं0 2 (ख) क्रम संख्या 18 निम्न दिए गए दिनांक को कार्यवाही रजिस्टर में पृष्ठ संख्या के कुछ पन्ने खाली छोड़े गए हैं, जो नियमों के विरुद्ध है : —

क्रम संख्या	पृष्ठ संख्या-I	दिनांक कार्यवाही	प्रस्ताव संख्या
	रजि0 कार्यवाही-I		
1.	101	8-8-2000	2
2.	119 से 122	—	—
3.	177 से 178	—	—
	रजि0 कार्य-II		
4.	13 व 14	—	—
5.	86 व 87	3-11-2002	6
6.	167 व 168	—	—
7.	183 से 185	5-8-2003	2
8.	186 से 188	—	—

आरोप संख्या 10. —अंकेक्षण-पत्र के पैरा संख्या 8 क्रम संख्या 2. श्री हरवंस सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत के पास मु0 20,000/- रु0 कैश बुक पृष्ठ 128, दिनांक 3-9-2003, मु0 35,000/- रु0 कैश बुक पृष्ठ संख्या 13, दिनांक 30-4-2003, मु0 25,000/- रु0 रोकड़ पृष्ठ 14, दिनांक 30-8-2003 व मु0 15,000/- रु0 रोकड़ पृष्ठ संख्या 7, दिनांक 20-4-2001 पेशगी राशि के रूप में है (जो राशि मु0 95,000/- रुपये बनती है)।

आरोप संख्य 11.—एन0 जे0 पी0 सी0 अंकेक्षण-पत्र का पैरा नं0 2(ख) व्यय की ओर टिप्पणियों का क्रम नं0 1 व 2 अनुसार पंचायत ने एन0 जे0 पी0 सी0 से मु0 3.00 लाख रुपये वर्ष 2000 में प्राप्त किया परन्तु गत अंकेक्षण दिनांक 12-7-2003 को अंकेक्षक को रोकड़ तथा अन्य वाऊचर जान-बूझ कर प्रस्तुत नहीं किये जिस कारण उस समय अंकेक्षण नहीं हो पाया इस बारे स्पष्ट करें। उक्त राशि में से ग्राम सभा ने 5 विकास कार्यों में व्यय करने की स्वीकृति दी, परन्तु पंचायत ने केवल 1,33,549/- रुपये ग्राम सभा द्वारा पारित योजनाओं पर व्यय किया शेष कार्य पंचायत ने अपनी मर्जी से किया जो आपत्तिजनक है।

आरोप संख्या 12. क्रम संख्या 5, 6, 7, 8 व 9 में वर्णित विभिन्न योजनाओं के मु0 23,216.75 पैसे के वाऊचर अपूर्ण पाये गये जो प्रधान से काबिले वसूल है।

आरोप संख्या 13. जवाहर ग्राम समृद्धि योजना अंकेक्षण-पत्र के पैरा नं0 2(ख) 3 में मु0 208.75 पैसे की वसूली प्रधान से की जानी है जो निर्माण कार्य पक्का रास्ता मस्ट्रोल पर अधिक व्यय किया।

उपरोक्त वर्णित आरोपों, जो तथ्यों पर आधारित हैं तथा स्वतः प्रमाणित हैं को मध्य नजर रखते हुए यह सुस्पष्ट है कि श्री हरबन्स सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा में एक जन प्रतिनिधि होते हुए न केवल पंचायत निधि का दुर्विनियोग एवं दुरुपयोग किया है बल्कि सरकारी धन को विकास कार्यों हेतु खर्च करते हुए अनेक प्रकार की अनियमितताएं बरती हैं। जैसा कि उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार तथा जिला पंचायत कार्यालय के अंकेक्षक दल द्वारा उल्लेख किया गया है। दूसरे शब्दों में उप-मण्डलाधिकारी (ना0), निचार की निरीक्षण छानवीन रिपोर्ट तथा जिला पंचायत कार्यालय के अंकेक्षण दल की संपरीक्षा रिपोर्ट के माध्यम से प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा द्वारा पंचायत निधि के दुर्विनियोग तथा दुरुपयोग का प्रकटीकरण होता है तथा इस तथ्य से इन्कार नहीं किया जा सकता है कि प्रधान ग्राम पंचायत सुंगरा श्री हरबन्स सिंह के पद पर बने रहने से हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 146(1) के अधीन जांच पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ सकता है तथा उन द्वारा अभिलेखों में गड़बड़ करने और साक्षियों को तोड़ने की आशंका है। इसके अतिरिक्त उपरोक्त प्रधान के विरुद्ध थाना भावानगर में भारतीय दण्ड संहिता 409 के तहत कार्यवाही प्रगती पर है जिसके अन्तर्गत श्री हरबन्स सिंह पर सरकारी धनराशि के गबन/दुरुपयोग का मामला चल रहा है।

अतः मैं, मनीष गर्ग, भा0 प्रा0 से0, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम 1994 की धारा 145(2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज नियम, 1997 के नियम 142 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्री हरबन्स सिंह, प्रधान, ग्राम पंचायत सुंगरा, तहसील निचार, जिला किन्नौर को प्रधान पद से तुरन्त प्रभाव से निलम्बित करता हूं ताकि उनके द्वारा इस पद पर बने रहने से ग्राम पंचायत सुंगरा के रिकार्ड से छेड़-छाड़ अथवा कांट-छांट न की जा सके अथवा अभिलेखों में गड़बड़, साक्ष्य, मिटाने या साक्षियों को प्रभावित करने का प्रयास न किया जा सके। उक्त श्री हरबन्स सिंह को ग्राम पंचायत सुंगरा की किसी भी कार्यवाही में भाग लेने से वर्जित किया जाता है। यदि उनके पास ग्राम पंचायत सुंगरा का कोई भी रिकार्ड, धन अथवा सम्पत्ति हो तो उसे तुरन्त सचिव, ग्राम पंचायत सुंगरा को सौंपना सुनिश्चित किया जाए।

मनीष गर्ग,
उपायुक्त,
जिला किन्नौर (हि0 प्र0)।

अधिसूचना

किन्नौर, 9 जुलाई, 2004

संख्या कनर(पंच निर्वाचन)-760/95-1075-90.—मैं, मनीष गर्ग, उपायुक्त, जिला किन्नौर, हिमाचल प्रदेश इस कार्यालय के पत्र संख्या कनर (पंच0 निर्वाचन) 760/95, दिनांक शून्य की निरन्तरता में इस अधिसूचना द्वारा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 8 (2) तथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज (निर्वाचन) नियम, 1994 के नियम 28 (4) व 28(9) तथा इस सन्दर्भ में हिमाचल प्रदेश सरकार, पंचायती राज विभाग के पत्र संख्या पीसीएच-एचए(1)18/2000-15603, दिनांक 22-5-2002 द्वारा दिए गए स्पष्टीकरण के अन्तर्गत जिला किन्नौर की निम्न पंचायतों के निम्न वार्डों में पंच निर्वाचन हेतु निम्न प्रकार से आरक्षण पुनः निर्धारित करता हूं:—

क्रम सं0	ग्राम पंचायत का नाम	निर्वाचन क्षेत्र/ वार्ड का नाम (क्र0)	आरक्षण की दशा
		तहसील पूह/मूरंग विकास खण्ड पूह	
1.	मानस	डोला नेपनेप (5)	अ0ज0जा0 (महिला)
2.	मूरंग	नानेन (7)	अ0ज0जा0
		विकास खण्ड निचार तहसील पूह/मूरंग	
1.	बरी	सुथानग (2)	अ0ज0जा0
2.	बरी	नागे (3)	अ0ज0जा0 (महिला)

हस्ताक्षरित/-
उपायुक्त,
जिला किन्नौर (हि0प्र0)।

कार्यालय उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

कारण बताओ नोटिस

मण्डी, 16 जुलाई, 2004

संख्या पी0 सी0 एन0-एम0 एन0 डी0/2001-2609-12.—यतः श्री हेम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत, मकरोहा, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश द्वारा राज्य सरकार की भूमि खसरा नं0 376, रकबा तादादी 5-10-14/5-6-14 पर अवैध कब्जा करने बारे विस्तृत रिपोर्ट नायब-तहसीलदार सदर, मण्डी, हिमाचल प्रदेश से प्राप्त हुई है। रिपोर्ट से पाया गया कि उपरोक्त प्रधान द्वारा अभी भी उक्त हिमाचल प्रदेश सरकार की भूमि पर नाजायज कब्जा किया हुआ है ;

और यह कि हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के प्रावधान अनुसार "ऐसा कोई भी व्यक्ति पंचायत का पदाधिकारी चुने जाने या होने के लिये निर्हित (अयोग्य) होगा, जिस द्वारा राज्य सरकार, नगरपालिका, पंचायत या सहकारी सोसाइटी की या इस द्वारा या उसको

ओर से पट्टे पर ली गई या अधिग्रहित किसी भूमि का अधिक्रमण किया है, जब तक कि उस तारीख से जिसको उसे बेदखल किया गया है, छः वर्ष की अवधि बीत न गई हो या वह अधिक्रमता न रहा हो"।

अतः मैं, अली रजा रिजवी, उपायुक्त, मण्डी, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश एतद्द्वारा श्री हेम चन्द, प्रधान, ग्राम पंचायत सकरोहा, विकास खण्ड बल्ह, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश को आदेश देता हूं कि वह उपरोक्त के सम्बन्ध में अपना स्पष्टीकरण इस कारण बताओ नोटिस के जारी होने के 15 दिनों के भीतर-भीतर लिखित रूप में अधोहस्ताक्षरी के कार्यालय में प्रस्तुत करें। विहित अवधि के भीतर उत्तर प्राप्त न होने की दशा में यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध में कुछ भी नहीं कहना है और उनके विरुद्ध हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) व 122(2) के अन्तर्गत आगामी कार्यवाही अमल में लाते हुये उन्हें प्रधान पद से निर्हरित (अयोग्य) घोषित कर दिया जायेगा।

अली रजा रिजवी,
उपायुक्त,
मण्डी, जिला मण्डी (हि० प्र०)।

कार्यालय उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

शिमला-2, 16 जुलाई, 2004

संख्या पी० सी० एच०-एस० एम० एल० (रिक्त पद) 8/2003-6027-31.—यह कि खण्ड विकास अधिकारी रोहड़ू तथा पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत समरकोट की रिपोर्ट अनुसार श्रीमती सन्तोष कुमारी, सदस्या, वार्ड नं० 5, पुजारली ग्राम पंचायत समरकोट का देहान्त दिनांक 20-5-2004 को हो चुका है और खण्ड विकास अधिकारी रोहड़ू ने पत्र संख्या रो० बी० पंच/04-1269, दिनांक 25-6-2004 के अन्तर्गत सदस्य पद, वार्ड नं० 5, पुजारली, ग्राम पंचायत समरकोट को रिक्त घोषित करने की सिफारिश की है।

अतः मैं, एस० के० बी० एस० नेगी, उपायुक्त, शिमला, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 131(4) के अन्तर्गत विहित शक्तियों का प्रयोग करते हुए श्रीमती सन्तोष कुमारी सदस्या, वार्ड नं० 5, पुजारली, ग्राम पंचायत समरकोट, विकास खण्ड रोहड़ू के सदस्य पद को रिक्त घोषित करता हूं।

एस० के० बी० एस० नेगी,
उपायुक्त,
शिमला, जिला शिमला (हि० प्र०)।

कार्यालय, उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश

कार्यालय आदेश

ऊना, 12 जून, 2004

संख्या पंच-ऊना (4) 118/79-1724-29.—इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री सरजीवन सिंह, उप-प्रधान, ग्राम पंचायत कोटला कलां, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना ने गांव कोटला कलां, विकास खण्ड

ऊना, जिला ऊना ने गांव कोटला कलां, की सरकारी भूमि खसरा नं0 815, 1025, 1195, 2764 व 2859, रकबा तादादी 0-89-21 हैक्टेयर पर वर्ष 1980 से कब्जा नाजायज कर रखा है जिसके नियमितिकरण के लिए आवेदन-पत्र संख्या 0026591 दिनांक 9-8-2002 को उप-प्रधान ने तहसीलदार, ऊना को आवेदन प्रस्तुत किया था । इसकी पुष्टि के लिए इस कार्यालय के पत्र संख्या पंच-ऊना (4) 118/79-147-150 दिनांक 29-4-2004 को उप-प्रधान श्री सरजीवन सिंह पुत्र श्री जोगिन्दर सिंह को कारण बताओ नोटिस भेज कर अपना पक्ष 15 दिनों के भीतर-भीतर प्रस्तुत करने का आदेश दिया गया था अन्यथा हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के अन्तर्गत कार्यवाही की जानी सुनिश्चित की गई थी ।

उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के अपने उत्तर दिनांक 15-5-2004 में उक्त उप-प्रधान ने यह माना है कि यदि मैंने भूमि नियमितिकरण के लिए कोई आवेदन दिया है तो उसे रद्द कर दिया जाए और साथ यह भी माना है कि भारत के प्रत्येक नागरिक का सरकार की इन नीतियों का लाभ प्राप्त करने का अधिकार बनता है । उपरोक्त तथ्यों से यह आरोप सिद्ध होता है कि उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1)(ग) के अन्तर्गत दोषी है ।

अतः मैं, रजनीश (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत उप-प्रधान पद से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131(2) के अन्तर्गत श्री सरजीवन सिंह, उप-प्रधान ग्राम पंचायत कोटला कलां के पद को रिक्त घोषित करता हूं तथा आदेश देता हूं कि यदि उक्त उप-प्रधान के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धन राशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत सचिव, ग्राम पंचायत कोटला कलां को सौंप दें ।

ऊना, 12 जुलाई, 2004

संख्या पंच-ऊना-4/122-92-1730-35. इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री बतन चन्द पुत्र श्री बाबू राम, पंच, वार्ड नं0 2, ग्राम पंचायत जनकौर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना ने अपने भूमि के नियमितिकरण के आवेदन-पत्र संख्या 0026043 दिनांक 15-8-2002 के अन्तर्गत गांव वारसड़ा की सरकारी भूमि खसरा नं0 556, रकबा तादादी 0-14-72 हैक्टेयर पर अरसा दस वर्ष से नाजायज दर्शाया है ।

इस तथ्य की पुष्टि के लिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या पंच-ऊना (4) 122/92-1892-95, दिनांक, 27 फरवरी, 2004 तथा पृष्ठांकन संख्या पंच-ऊना (4)/122/92-151-154, दिनांक 29-4-2004 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (सी) के अन्तर्गत उक्त पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था ।

उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर दिनांक 9-2-2004 व 21-5-2004 में यह माना है कि मैंने भूमि नियमितिकरण का आवेदन हलका पटवारी के गलत मार्गदर्शन से भरा था । वास्तव में मेरा सरकारी भूमि पर कोई कब्जा न है और यह भी लिखा है कि सरकार की इस योजना के अन्तर्गत हजारों लोगों ने इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि नियमितिकरण हेतु आवेदन कर रखा है । उपरोक्त तथ्य से यह आरोप सिद्ध होता है कि उक्त पंचायत पदाधिकारी हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत अयोग्य पाया गया है ।

अतः मैं, रजनीश (भा0 प्र0 से0), उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हिमाचल प्रदेश पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122 (1) (ग) के अन्तर्गत ग्राम पंचायत जनकौर के वार्ड नं0 2 पर पंच श्री बतन चन्द

को अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131(2) के अन्तर्गत श्री वतन चन्द, पंच के पद को रिक्त घोषित करता हूं तथा उन्हें आदेश देता हूं कि कि यदि उक्त पंचायत सदस्य के पास ग्राम पंचायत की कोई वस्तु, धनराशि या अभिलेख हो तो उसे ग्राम पंचायत के सचिव को सौंप दें ।

ऊना, 12 जून, 2004

संख्या पंच-ऊना-(4) 122/92-1736-40.—इस कार्यालय को सूचित किया गया है कि श्री निर्दोष कुमार पुत्र श्री सूरज सिंह, पंचायत समिति, सदस्य वार्ड जनकौर, विकास खण्ड ऊना, जिला ऊना ने अपने भूमि के नियमितिकरण के आवेदन-पत्र संख्या 0025403, दिनांक 29-7-2002 के अन्तर्गत गांव जनकौर की सरकारी भूमि खसरा नं0 461, रकबा तादादी 8-15-84 है0 पर दिनांक 11-12-1995 से कब्जा नाजायज दर्शाया है ।

इस तथ्य की पुष्टि के लिए इस कार्यालय के पृष्ठांकन संख्या पंच-ऊना(4) 122/92-1088-91, दिनांक 27-2-2004 तथा पृ0 सं0 पंच-ऊना(4) 122/92-155-158, दिनांक 29-4-2004 के अन्तर्गत हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(सी) के अन्तर्गत उक्त पदाधिकारी को कारण बताओ नोटिस भेजकर 15 दिनों के भीतर-भीतर अपना पक्ष प्रस्तुत करने के लिए लिखा गया था ।

उपरोक्त पंचायत पदाधिकारी ने उपरोक्त कारण बताओ नोटिस के उत्तर दिनांक 9-2-2004 व 21-5-2004 में यह माना है कि मैंने भूमि नियमितिकरण का आवेदन हल्का पटवारी के गलत मार्गदर्शन से भरा था वास्तव में मेरा सरकारी भूमि पर कोई कब्जा न है । और यह भी लिखा है कि सरकार की इस योजना के अन्तर्गत हजारों लोगों ने इस नीति के अन्तर्गत लाभ प्राप्त करने के लिए भूमि नियमितीकरण हेतु आवेदन कर रखा है । उपरोक्त तथ्यों से यह आरोप सिद्ध होता है कि उक्त पंचायत पदाधिकारी, हि0प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1) (ग) के अन्तर्गत दोषी है ।

अतः मैं, रजनीश (भा0प्र0से0), उपायुक्त, ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 पंचायती राज अधिनियम, 1994 की धारा 122(1)(ग) के अन्तर्गत पंचायत समिति पद, वार्ड जनकौर से अयोग्य घोषित करते हुए धारा 131(2) के अन्तर्गत श्री निर्दोष कुमार, पंचायत समिति सदस्य, वार्ड जनकौर, पंचायत समिति ऊना के पद को रिक्त घोषित करता हूं तथा उन्हें आदेश देता हूं कि यदि उक्त पंचायत समिति सदस्य के पास, पंचायत समिति की कोई वस्तु, धनराशि या अभिलेख हो तो उसे पंचायत समिति के सचिव को सौंप दें ।

रजनीश उपायुक्त,
ऊना, जिला ऊना, हि0 प्र0 ।

नियन्त्रक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, हिमाचल प्रदेश, शिमला-5 द्वारा मुद्रित तथा प्रकाशित